N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): रायपुर P.S. (थाना): टिकरापारा Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0639 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 13/08/2024 11:20

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	325

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): गुरूवार

Date From (दिनांक से): 01/08/2024 Date To (दिनांक तक): 01/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 6 Time From (समय से): 18:30 बजे

Time To (समय तक): 18:30 बजे

(b)Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक):13/08/2024 Time (समय): 11:20 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001

Date & Time (दिनांक और समय): 13/08/2024 11:20 बजे

4.Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 02 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): मोती नगर यश विहार रायपुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): डा किरण आहूजा

(b) Father's Name (पिता का नाम) : धनश्याम आहूजा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1988

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h)Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	हीरापुर थाना कबीर नगर ,कबीर नगर,रायपुर,छत्तीसगढ़,भारत
2	स्थायी पता	हीरापुर थाना कबीर नगर ,कबीर नगर,रायपुर,छत्तीसगढ़,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7045556086

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञान परवेज			1. मोती नगर यश विहार ,टिकरापारा,रायपुर, छत्तीसगढ़,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

शिकायत आवेदन पर से

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू. डी. प्रकरण स., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू. डी. प्रकरण स.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

आवेदक किरण आहूजा प्रबंधक पेटा इंडिया शाकाहारी परियोजनाओ द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की कि इनकी संस्था को एक तस्वीर मिला जिसमे दो कुपोषित घोडे कीचड भरी जमीन मे लेटे हुए है जिसे संस्था द्वारा अस्पताल ले जाने पर एक घोडा मृत होना पता चला जो घोडा मालिक कि अय्यान परवेज निवासी मोती नगर यश विहार की लापरवाही एवं देखरेख नही करने के कारण होना पाया गया कि आवेटिका के आवेदन पर अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। जो नकल जैल है 02 अगस्त 2024 को, थाना प्रभारी, टिकरापारा पुलिस स्टेशन, धमतरी रोड, केंद्रीय उत्पाद एव सीमा शुल्क अधिकारी कलोनी, पोस्टल कलोनी, टिकरापारा, रायपुर 492001 विषय पशु संरक्षण कानूनों के उल्लंघन में, उनके मालिकों द्वारा एक घोड़े की हत्या और दूसरे को अपंग बनाने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की शिकायत। प्रिय महोदय, मैं आपको देश के सबसे प्रसिद्ध पशु संरक्षण संगठन पीपल फर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया की ओर से पत्र लिख रहा हूं, जिसमें आपसे मालिकों द्वारा दो घोड़ों की हत्या के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का अनुरोध किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए),

1960 के उल्लघन के लिए उन घोड़ों के मालिक और किसी भी अन्य संबधित अजात व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। 1 अगस्त को, रायपुर में एक पशु अधिकार कार्यकर्ता वचना लाबान को समीर बेन्सयानी से एक तस्वीर मिली जिसमे दो बेहद कुपोषित घोड़े कीचड भरी जमीन पर लेटे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे मुश्किल से बच रहे हों। यह जानकारी मिलने पर, वंचना और समीर ने घोडो के मालिक से उनकी स्थिति के बारे में बात करने के लिए स्थान का दौरा किया। उन्होने देखा कि घोड़े चलने- फिरने या खडे होने में असमर्थ थे और असहाय पड़े हुए थे। मालिकों का नाम अय्यान परवेज और नाहिद परवेज है और उनका स्थान विद्या किराना स्टोर के सामने का घर, मोती नगर, संतोषी नगर, रायपुर - 492013 है। वंचना और समीर ने मालिक से बात की और उनसे घोडो को इलाज के लिए पशु चिकित्सालय ले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। बहुत समझाने के बाद, मालिक सहमत हो गए और उन्होंने तुरत परिवहन की व्यवस्था की और दोनों घोडों को State Animal Hospital Pandri अस्पताल ले गए और घोड़ों को मालिक के नाम पर भर्ती कराया। जब वंचना ने मुझे कल रात इस घटना के बारे में बताया, तो मैने अगली सुबह अस्पताल जाने का फैसला किया। आज पशु चिकित्सालय जाने पर मुझे पता चला कि एक घोड़ा मर गया था जबकि दूसरा मरने के कगार पर था। हमने तुरंत पशुचिकित्सक से अनुरोध किया कि वे दोनों घोड़ों की चिकित्सीय जांच और जो मर गया था उसकी मौत के कारण पर एक रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। यह स्पष्ट है कि मालिक के कब्जे में रहते हुए दोनो घोडे मरने की कगार पर थे और उनकी स्थिति से अवगत होने के बावजूद, मालिक ने उनके लिए कोई इलाज नही कराया। पीसीए अधिनियम, 1960 की धारा 3 जानवरों का प्रभार रखने वाले व्यक्तियों का यह कर्तव्य बनाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके स्वामित्व या देखभाल के तहत जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीडा का सामना न करना पड़े। आरोपी मुख्य रूप से बीएनएस, 2023 के प्रावधानों का उल्लघन कर रहे है। दोनों घोड़े मालिक के आवास पर मरणासन्न स्थिति में पाए गए थे, और उनकी स्थिति के बारे में पता होने के बावजूद, मालिक ने आवश्यक देखभाल या उपचार प्रदान नहीं किया। यह एक जानवर की हत्या और दूसरे जानवर को अपग या बेकार करने के लिए बीएनएस की धारा 325 का उल्लघन है। आरोपी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का भी उल्लघन कर रहे है। धारा 11 (1) (ए) किसी भी जानवर को इस तरह से पीटने, लात मारने, यातना देने या उसके साथ व्यवहार करने पर रोक लगाती है जिससे उसे अनावश्यक दर्द और पीड़ा हो। धारा 11(1) (एच) किसी जानवर को पर्याप्त भोजन, पेय या आश्रय प्रदान करने में विफल रहने पर रोक लगाती है। पीसीए अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) (एल) में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर को विकृत करता है या किसी जानवर (आवारा कुत्तों सहित) को मारता है... या किसी अन्य अनावश्यक रूप से क्रूर तरीके से जानवरों के प्रति क्रूरता है। कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में किया गया कार्य बीएनएस की धारा 3(5) के तहत अपराध है। इस शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव दी गई है जिसमें इस भयावह घटना के संबध में उल्लघनों का सबूत देने वाली तस्वीरें और वीडियो हैं। सोबो फिल्म्स प्रोडक्शन के सेट पर जानवरों के प्रति क्रूरता के साथ-साथ पशु संरक्षण कानूनों और बीएनएस 2023 के घोर उल्लघन के मद्देनजर, आपसे दोनों घोडो के मालिकों और किसी अन्य अजात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है। बीएनएस, 2023 की धारा 3(5) और 325 और पीसीए अधिनियम की धारा 3, 11(1) (ए, 11(1) (एच) और 11 (1) (एल) के तहत उपर्युक्त अपराध करने में शामिल व्यक्ति, 1960. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आज सुबह जिस घोड़े की मृत्यु हो गई, उसका तत्काल पोस्टमार्टम कराएं और पीसीए अधिनियम, 1960 की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीवित घोड़े को जब्त करें और धारा 35 के प्रावधानों के

अनुसार उनका पुनर्वास करें। अधिनियम। हम जब्त किए गए घोड़ों के पुनर्वास में सहायता करने में प्रसन्न है। मुझसे kirana@petaindia.org या 9619264382 पर संपर्क किया जा सकता है। आपका, हस्ताक्षर अस्पष्ट ड किरण आहूजा शाकाहारी परियोजनाओं के प्रबंधक पेटा इंडिया

13. **Action taken:Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

(1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): NEELMANI SAHU
Rank (पद): Asst. SI (Assistant **No.**(सं.):
to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

or (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.**(थाना):
District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Manoj Sahu
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):